

हरियाणा स्वच्छ वायु एवं सतत विकास कार्यक्रम

(पी 510686)

पर्यावरण एवं सामाजिक व्यवस्था मूल्यांकन

संशोधित मसौदा

जुलाई, 2025

कार्यकारी सार

## ई -1 पृष्ठभूमि

हरियाणा अपने औद्योगिक और शहरी विकास के साथ-साथ कृषि पद्धतियों और पड़ोसी राज्यों के सीमापार प्रदूषण से जूझ रहा है। हरियाणा में उच्च स्तर के परिवेशी पी एम 2.5 (PM<sub>2.5</sub>) के लिए परिवहन, घरेलू रसोई और कृषि सबसे बड़े कारक हैं। इन सभी कारकों का पी एम 2.5 (PM<sub>2.5</sub>) सांद्रता में 60 प्रतिशत से अधिक का योगदान है। इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) से संबंधित नीतियां लागू करके उत्सर्जन को कम करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास पहले से ही किए जा रहे हैं, और पुराने वाहनों को स्क्रेप करने के लिए केंद्र स्थापित किए गए हैं। राज्य ने बायोएथेनॉल के लिए फसल अवशेषों के पुनः उपयोग और अवशेषों को बिजली संयंत्रों में जलाने के लिए कई उपाय किए हैं और प्रोत्साहन योजनाएं लागू की हैं।

राज्य ने वर्ष 2023 में अपनी पहली वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए हरियाणा राज्य कार्य योजना (एचसीएपी) तैयार की है। यह योजना वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाकर वायु गुणवत्ता प्रबंधन (एक्यूएम) में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए राज्यों पर बढ़ते दबाव की प्रतिक्रिया है। विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित परिणामोन्मुखी-कार्यक्रम (पी) इस योजना की विभिन्न कार्रवाइयों में सहायक होंगे, इसलिए इसे सरकारी कार्यक्रम (पी) कहा जाता है। इनमें प्रत्येक उपाय के अंतर्गत, राज्य में हितधारकों का एक विशिष्ट समूह है, जिन्हें न केवल निवेश में, बल्कि भविष्य में इन प्रयासों को बनाए रखने के लिए व्यवहार परिवर्तन और संस्थागत सुधार की प्रक्रिया में भी शामिल किया जाना चाहिए।

सभी वायु प्रदूषण स्रोतों की समस्या के निवारण के लिए निवेश की प्रकृति, वित्तपोषण रणनीतियों और कार्यान्वयन के तौर-तरीकों को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न हितधारकों के मध्य समय और दीर्घकालिक सहयोग की आवश्यकता होगी। वैश्विक अनुभव का अनुसरण करते हुए, सरकार ने बैंक की सहायता से स्वच्छ वायु के लिए हरियाणा राज्य कार्य योजना के भीतर परिवहन, कृषि, उद्योग और धूल नियंत्रण में प्राथमिकता वाले विविध निवेश लागू करने के लिए एक बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण का उपयोग करने का विकल्प चुना है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए एक नए संस्थागत मॉडल की आवश्यकता को पहचानकर, हरियाणा सरकार ने एक अग्रणी विशेष प्रयोजनमूलक साधन (एसपीवी) “अर्जुन” (एक उन्नतशील रोजगार, शहरी वायु गुणवत्ता और अगली पीढ़ी के कौशल के लिए एआई) तैयार किया है, जिसमें बड़े पैमाने पर स्वच्छ हवा प्रदान करने के लिए सशक्त नेतृत्व, ए आई-संचालित नवाचार और बहु-क्षेत्रीय अभिसरण के माध्यम से वायु गुणवत्ता प्रबंधन नियंत्रण की परिकल्पना की गई है। यह “अर्जुन” सामयिक पद्धतियां

विकसित करने, उनकी समीक्षा करने और उन्हें अनुकूलित करने के लिए एक दीर्घकालिक, एकीकृत बहुक्षेत्रीय कार्यक्रम के लिए आवश्यक संस्थागत, तकनीकी और बुनियादी निवेश स्थापित करेगा।

## ई-2 कार्यक्रम विकास उद्देश्य और परिणाम क्षेत्र

कार्यक्रम विकास उद्देश्य (पीडीओ) का उद्देश्य वायु प्रदूषण प्रबंधन को सुदृढ़ बनाना और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से उत्सर्जन को कम करना है।

इस कार्यक्रम के दो परिणाम क्षेत्र हैं:

- परिणाम क्षेत्र 1: वायु गुणवत्ता प्रबंधन और योजना के लिए राज्य क्षमताओं का सुदृढ़ीकरण
- परिणाम क्षेत्र 2: क्षेत्रीय मध्यस्थता को बढ़ाना।

इसके लाभार्थियों में (क) सरकारी अधिकारी जिन्हें इस अभियान के तहत प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और वैश्विक ज्ञान एवं प्रौद्योगिकियों तक पहुंच प्राप्त होगी; (ख) राज्य में उपकरण और इनपुट आपूर्तिकर्ता, निर्माण और इंजीनियरिंग फर्म, और विस्तार कार्यकर्ता जिनके उत्पादों और सेवाओं की अधिक मांग होगी; (ग) राज्य में छोटे उद्योग/उद्यम जिन्हें बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा से वित्तीय प्रोत्साहन मिलेगा; (घ) राज्य के किसान जिन्हें मशीनरी खरीदने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन मिलेगा; (ङ) गुरुग्राम और फरीदाबाद में इलेक्ट्रिक 3W के व्यक्ति और बेड़े संचालक; (च) गुरुग्राम और फरीदाबाद के नागरिक जिन्हें सड़क और निर्माण धूल शमन गतिविधियों और स्वच्छ परिवहन में बेहतर प्रबंधन और निवेश के कारण कम पीएम 2.5 (PM<sub>2.5</sub>) उत्सर्जन से लाभ होगा; (छ) गुरुग्राम और फरीदाबाद में सिटी बस संचालन में कार्यरत महिलाएं और राज्य में पशुधन समूहों के साथ स्थित लघु-स्तरीय कृषि उद्यम; और (ज) राज्य के स्वामित्व वाली फर्म शामिल हैं।

## ई-3 पर्यावरणीय और सामाजिक व्यवस्था मूल्यांकन (ईएसएसए) के बारे में।

परिणामों के लिए वित्तपोषण कार्यक्रम (नीति) और निर्देश में यथा निर्धारित परिणामोन्मुखी उपकरण के उपयोग के लिए विश्व बैंक की आवश्यकताओं के अनुरूप, एक पर्यावरणीय और सामाजिक व्यवस्था मूल्यांकन (ईएसएसए) किया गया और एक रिपोर्ट तैयार की गई। इस पर्यावरणीय और सामाजिक व्यवस्था मूल्यांकन में (क) कार्यक्रम के संभावित पर्यावरणीय और सामाजिक व्यवस्था प्रभावों (प्रासंगिक रूप से प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रेरित और संचयी प्रभावों सहित); (ख) उन प्रभावों को प्रबंधित करने की उधारकर्ता की क्षमता (कानूनी ढांचा, नियामक प्राधिकरण, संगठनात्मक क्षमता और प्रदर्शन); (ग) उधारकर्ता की प्रणालियों—कानूनों, विनियमों, मानकों, प्रक्रियाओं और कार्यान्वयन निष्पादन—की तुलना मुख्य पर्यावरणीय और सामाजिक सिद्धांतों और प्रमुख नियोजन तत्वों से की ताकि उनके बीच किसी भी महत्वपूर्ण अंतर की पहचान की जा सके जो कार्यक्रम के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है; (घ) प्रस्तावित कार्यक्रम द्वारा अपने पर्यावरणीय और सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की संभावना; और (ङ) कार्यक्रम कार्य योजना (पीएपी) के माध्यम से कार्यक्रम जोखिमों के प्रबंधन हेतु प्रासंगिक नीतिगत मुद्दों और विशिष्ट परिचालन पहलुओं पर क्षमता और प्रदर्शन संबंधी समस्या दूर करने हेतु उपायों की सिफारिश की जांच की। मूल्यांकन

में विश्व बैंक की विभिन्न आवश्यकताओं पर विचार किया गया, जिनमें प्रारंभिक जांच, हितधारक जुड़ाव, क्षमता मूल्यांकन और शिकायत तंत्र का विश्लेषण शामिल है।

#### ई-4 पर्यावरणीय और सामाजिक व्यवस्था मूल्यांकन (ईएसएसए) के लिए प्रयुक्त कार्यप्रणाली

पर्यावरणीय और सामाजिक प्रणाली मूल्यांकन (ईएसएसए) की कार्यप्रणाली में (क) लागू नीतियों, विधानों, योजनाओं, कार्यक्रम प्रक्रियाओं और संस्थागत प्रणाली की गौण साहित्य समीक्षा; (ख) स्क्रीनिंग; (ग) स्थल भ्रमण; (घ) परामर्श - क्षेत्रीय/फोकस समूह और राज्य स्तर पर; और (ङ) पर्यावरणीय एवं सामाजिक (ई एंड एस) प्रणालियों की खूबियों और सुधार के क्षेत्रों का विश्लेषण और संश्लेषण शामिल थे। ईएसएसए रिपोर्ट तैयार करने के लिए इन चरणों का पालन किया गया, जिसमें निष्कर्षों, सिफारिशों पर प्रकाश डाला गया और पीएपी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सहायता योजना (पीआईएसपी) के लिए सुझाव दिए गए।

अध्ययन की जानकारी प्रदान करने के लिए, सरकारी प्रतिनिधियों के साथ हितधारक परामर्श और प्रमुख सूचनादाताओं के साक्षात्कार आयोजित किए गए। इसके अतिरिक्त, फसल अवशेष प्रबंधन सेवा प्रदाताओं (किसान, एग्रीगेटर और उद्योग), निर्माण और विध्वंस (सी एंड डी) क्षेत्र (सार्वजनिक क्षेत्र की निर्माण एजेंसियां, सी एंड डी अपशिष्ट संयंत्र संचालक, और नगर निगम), और उद्योग क्षेत्र के हितधारकों के साथ फरवरी और अगस्त 2024 के बीच फोकस समूह चर्चाएं की गईं। मूल्यांकन से पहले ईएसएसए के मसौदे पर एक राज्य-स्तरीय कार्यशाला के माध्यम से परामर्श आयोजित किए गए, जिसके बाद ईएसएसए के मसौदे को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग (डीओईएफसीसी); हरियाणा सरकार (जीओएच); और विश्व बैंक की बाहरी वेबसाइटों पर प्रकाशित किया गया। प्राप्त फीडबैक के आधार पर, ईएसएसए रिपोर्ट को संशोधित किया जाएगा, और अंतिम संस्करण सभी नामित साइटों और वित्त विभाग में बोर्ड की मंजूरी से पहले पुनः प्रकाशित किया जाएगा। ईएसएसए पर राज्य स्तर पर 11 नवंबर, 2024 को विचार-विमर्श किया गया। ईएसएसए और हिंदी में कार्यकारी सार 21 नवंबर, 2024 को एचएसपीसीबी पोर्टल पर प्रकाशित किए गए। यह पिछले तैयारी चक्र का एक हिस्सा था। जुलाई 2025 में बस डिपो, सड़कों और इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों का स्थल निरीक्षण किया गया। परियोजना गतिविधियों और कार्यान्वयन व्यवस्थाओं में संशोधन के साथ, ईएसएसए को भी संशोधित किया गया।

#### ई-5 महत्वपूर्ण मुद्दे/जोखिम और अवसर

**पर्यावरण।** पर्यावरणीय जोखिम को बृहद जोखिम माना जाता है। यह कार्यक्रम शहरों में मानव स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता के लिए कई पर्यावरणीय लाभ प्रदान करता है। इस कार्यक्रम में फसल अवशेषों को जलाने की रोकथाम, उद्योगों में स्वच्छ उत्पादन को बढ़ावा देने, ई-वाहनों की शुरूआत, सी एंड डी कचरे के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने और सड़क की धूल के प्रबंधन के माध्यम से उत्सर्जन में कमी आएगी। तथापि, यदि सड़क पुनर्वास, वायु गुणवत्ता प्रयोगशालाओं का उन्नयन, ईवी चार्जिंग सुविधाएं और बस डिपो जैसी कुछ कार्यक्रम गतिविधियों के लिए सरकारी

नियमों और नीतियों के अनुसार शमन उपायों का पालन नहीं किया जाता है तो इनसे पर्यावरण के लिए जोखिम उत्पन्न होने और पर्यावरण प्रभावित होने की संभावना है। इनमें (क) वाहन बैटरी के प्रतिस्थापन/पुनर्चक्रण और पुराने डीजल इंजन सेटों के निपटान से खतरनाक अपशिष्टों का उत्पादन; (ख) प्रयोगशालाओं के उन्नयन, सड़क पुनर्वास, परिवहन, चार्जिंग बुनियादी ढांचे और सी एंड डी कचरे के प्रसंस्करण जैसे मामूली कार्यों से धूल और शोर; (ग) सड़कों के पुनर्वास (विशेषकर सड़कों के समानांतर उपयोग और पुनर्वास कार्यों के दौरान), कृषि कटाई मशीनरी के संचालन, वाहनों के स्वचालित परीक्षण, बस डिपो (उन्नयन और नए), सी एंड डी अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों और लघु उद्योगों से जुड़े व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा (ओएचएस) जोखिम और सामुदायिक जोखिम; और (घ) सी एंड डी अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों से निकलने वाले प्लास्टिक, फोम, कपड़े आदि जैसे अप्रसंस्कृत अपशिष्टों का अनुचित निपटान शामिल हैं। हालांकि, ये जोखिम सीमित, स्थानीयकृत, प्रतिवर्ती हैं, और इन जोखिमों को ईएसएसए दस्तावेज़ में विस्तृत रूप से वर्णित उपयुक्त उपायों के माध्यम से कम किया जा सकता है। पर्यावरणीय जोखिमों के प्रबंधन और निगरानी के लिए आवश्यक कमियों को पीएपी में शामिल किया गया है और एसपीवी में एक पूर्णकालिक पर्यावरण विशेषज्ञ की सेवाएं लेने पर सहमति बनी है।

**सामाजिक।** सामाजिक जोखिम गंभीर हैं, जिनका प्रबंधन परिचालन डिज़ाइन में निर्मित शमन रणनीतियों, सुसंगत प्रणालियों और क्षमता विकास के साथ-साथ पीएपी के तहत कुछ अतिरिक्त प्रबंधन उपायों के माध्यम से किया जाना है। वायु गुणवत्ता के मुद्दों पर समर्थन जुटाने और जन जागरूकता पैदा करने के लिए संरचित हितधारक जुड़ाव इस अभियान में अंतर्निहित है। इस अभियान में हरित पहलों के तहत नागरिक कार्य, शहरी सड़क पुनर्वास, ईवी चार्जिंग सुविधाएं, बस डिपो का उन्नयन और वायु गुणवत्ता प्रयोगशालाएं शामिल हैं। किसी भूमि अधिग्रहण की परिकल्पना नहीं की गई है। नवीनीकरण और पुनरुद्धार के पैमाने को देखते हुए, श्रमिकों की तैनाती की संभावना है, जिससे श्रमिकों की आमद और संबंधित यौन शोषण, दुर्व्यवहार और यौन उत्पीड़न (एसईए/एसएच) के जोखिम उत्पन्न होने की संभावना है। अन्य प्रत्याशित जोखिम सामुदायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा (सीएचएस) से संबंधित हैं, जिनमें सड़क विक्रेताओं की पहुंच और स्थानांतरण पर अस्थायी प्रतिबंध (सड़क पुनर्वास गतिविधियों, हरितीकरण के दौरान), यातायात और सड़क सुरक्षा जोखिम, दुर्घटनाओं और दुर्घटनाओं का संभावित जोखिम, और काम करने की स्थितियों सहित श्रमिकों का स्वास्थ्य और सुरक्षा शामिल हैं। इसके अलावा, परिवहन संबंधी सेवाओं और उद्यमिता के विस्तार के साथ महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे भी उभरेंगे। आरए 2 के अंतर्गत महिलाओं, छोटे और सीमांत किसानों और गरीब परिवारों जैसे कमजोर लाभार्थियों के बहिष्कृत होने का भी जोखिम है। सामाजिक जोखिमों का आकलन, प्रबंधन और निगरानी करने के लिए प्रणालियों और क्षमताओं में अंतराल को पीएपी में शामिल किया गया है और एसपीवी में एक पूर्णकालिक सामाजिक विशेषज्ञ रखने पर सहमति व्यक्त की गई है।

### ई-6 नीति और कानूनी ढांचे का मूल्यांकन

संगत क्षेत्रों की पर्यावरण और सामाजिक व्यवस्था के लिए नीति और कानूनी ढांचा पर्याप्त पाया गया और यह विविध व्यापक कानूनों, विनियमों, योजनाओं और नीतियों द्वारा समर्थित है जो राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर लागू हैं। हालांकि

ये प्रावधान पर्याप्त हैं, फिर भी इन कानूनों और नीतियों के समय पर और प्रभावी प्रवर्तन के लिए संस्थागत प्रणालियों और क्षमताओं की आवश्यकता है।

## ई-7 संस्थागत प्रणालियों और क्षमताओं का आकलन

इस कार्य के लिए नोडल एजेंसी वित्त विभाग के अंतर्गत विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी) “अर्जुन” (एक उन्नतशील रोजगार, शहरी वायु गुणवत्ता और अगली पीढ़ी के कौशल के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता) है। शीर्ष स्तर पर, “अर्जुन” का नेतृत्व मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव (अध्यक्ष के रूप में) करेंगे और एक निदेशक मंडल होगा जिसमें वित्त, उद्योग, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, कृषि, परिवहन, शहरी स्थानीय निकाय और ग्रामीण विकास के प्रशासनिक सचिव होंगे। नेतृत्व मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है, और निदेशक मंडल उच्च-स्तरीय अंतर-विभागीय समन्वय को सुगम बनाता है, और कार्यान्वयन के लिए नीतिगत और रणनीतिक दिशा-निर्देश प्रदान करता है। कंपनी निगमन और प्रबंधन नियमों के निर्माण की प्रक्रिया विकासाधीन है।

विशेष प्रयोजनमूलक साधन अर्जुन के अंतर्गत, इस कार्य के लिए एक समर्पित परियोजना प्रबंधन इकाई परियोजना प्रबंधन, कार्यान्वयन और एमआरवी कार्यों का संचालन करेगी। पीएमयू में परियोजना कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी बाजार से नियुक्त पूर्णकालिक अधिकारी शामिल होंगे। तकनीकी, क्रय, वित्त, पर्यावरण और सामाजिक कार्य परियोजना प्रबंधन इकाई में होंगे और सीईओ को रिपोर्ट करेंगे। वे मूल्यांकन निष्कर्षों, कार्यक्रम कार्य योजना (पीएपी) आवश्यकताओं, शिकायत निवारण, श्रम प्रबंधन, तथा क्रय एवं वित्तीय प्रबंधन के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए भी, प्रत्यक्ष रूप से या समन्वय एवं निरीक्षण के माध्यम से, जिम्मेदार होंगे।

जिला स्तर पर, जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत के जिला प्रशासन और महानगर विकास प्राधिकरणों के साथ काम करने वाले कार्यक्रम प्रबंधक होंगे। इस परियोजना में 13 कार्यान्वयन संस्थाएं [1] (एसपीवी सहित) शामिल हैं, जिनमें विभाग, सिटी बस कंपनियां और यूएलबी भी हैं जो परिणामोन्मुखी कार्यक्रम के तहत डीएलआई से जुड़ी गतिविधियों को लागू करेंगे। चूंकि रणनीतिक विकल्प कई निर्णयकर्ताओं द्वारा किए जाते हैं और विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों और भौगोलिक क्षेत्रों में 13 विभिन्न एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं, इसलिए इस संरचना में सीईओ संचालन की दिशा पर नियंत्रण रखने और संचालन प्रदर्शन को बढ़ाने वाले पाठ्यक्रम को अपना सकता है। एसपीवी के तहत कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यक्रम के साथ एक्यूएम का रणनीतिक एकीकरण, एसपीवी को प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए डिजिटल प्लेटफार्मों का बेहतर लाभ उठाने की स्थिति में लाता है।

इस मूल्यांकन में (क) पर्यावरणीय एवं सामाजिक सुरक्षा जोखिमों की जांच, प्रबंधन और निगरानी; (ख) कर्मचारियों के आवंटन और प्रशिक्षण; और (ग) लाभार्थियों एवं हितधारकों की सहभागिता प्रक्रियाओं के लिए उनकी प्रणालियों और प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। परियोजना प्रबंधन प्रणाली में एक पर्यावरण और एक सामाजिक विशेषज्ञ तथा अन्य पर्यावरणीय एवं सामाजिक कार्यों के लिए पूर्णकालिक तकनीकी कर्मचारी होंगे।

## ई-8 वर्जन मानदंड

इस प्रचालन में वे गतिविधियां शामिल नहीं हैं जिनका पर्यावरण और/या लोगों पर महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का आकलन किया गया है, जैसा कि विश्व बैंक की नीति और परिणामोन्मुखी कार्यक्रम वित्तपोषण निर्देश में परिभाषित किया गया है। वर्जन का आगे पर्यावरण और सामाजिक प्रणाली मूल्यांकन (ईएसएसए) में वर्णन किया गया है और इसमें बड़े पैमाने पर बायोगैस सुविधाएं, नए निर्माण एवं विध्वंस (सी एंड डी) अपशिष्ट प्रबंधन या अपशिष्ट से ऊर्जा सुविधाएं, और भूमि अधिग्रहण से जुड़ी या अनैच्छिक पुनर्वास और जबरन बेदखली की संभावना वाली प्रत्येक गतिविधि शामिल है।

उच्च पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों के कारण निम्नलिखित गतिविधियों को व्यय के परिणामोन्मुखी कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जाएगा: (क) वाहन स्क्रेपिंग सुविधा की स्थापना, (ख) प्रमुख/बड़े पैमाने पर केंद्रीकृत औद्योगिक बॉयलर संयंत्र/प्रणालियां, (ग) नए लैंडफिल/डंपसाइट, (घ) लीड एसिड बैटरी का उपयोग करने वाले कोई भी ईवी, (ङ) नई इमारतों का निर्माण या मौजूदा इमारतों के विद्यमान पदचिह्न से परे कोई भी निर्माण, (च) मौजूदा पदचिह्न से परे सड़कों को चौड़ा करना; (छ) किसी भी संरचना पर काम करना जिसमें एस्बेस्टस सामग्री (एसी छत शीट, एसी पाइप, आदि) हो, (ज) भूमि अधिग्रहण से जुड़ी कोई भी गतिविधि, और (झ) कोई भी गतिविधि जिसमें संभावित अनैच्छिक पुनर्वास और जबरन बेदखली हो सकती है - और इनको विश्व बैंक के कार्यक्रम से बाहर रखा जाएगा।

## ई-9 कार्यक्रम कार्य योजना (पीएपी) के लिए प्रमुख अनुशंसाएं और जानकारी

मूल्यांकन में पर्यावरणीय एवं सामाजिक व्यवस्थाओं के कार्यान्वयन में सुधार हेतु कुछ क्षेत्रों की पहचान की गई है, जिनका निवारण तालिका ई-1 और ई-2 में दी गई निम्नलिखित अनुशंसाओं के माध्यम से किया जा सकता है।

### तालिका ई-1-कार्यक्रम कार्य योजना के लिए अनुशंसित पर्यावरणीय एवं सामाजिक व्यवस्था कार्रवाई

क्रम संख्या	विवरण	समय सीमा	-----तक	समापन के लिए संकेतक
-------------	-------	----------	---------	---------------------

<p>1.</p>	<p>परिणामोन्मुखी कार्यक्रम के अंतर्गत समर्थित सड़कों के पुनर्वास, हरित गतिविधियों और परिवहन अवसंरचना के पर्यावरणीय एवं सामाजिक सुरक्षा जोखिमों और प्रभावों की पहचान, प्रबंधन और निगरानी के लिए प्रक्रिया संहिता सहित कार्यविधि/पर्यावरणीय एवं सामाजिक सुरक्षा चेकलिस्ट तैयार करना।</p> <p>पर्यावरणीय एवं सामाजिक सुरक्षा आचार संहिता में राष्ट्रीय विनियमन और विधान से उत्पन्न अच्छे निर्माण अभ्यास शामिल हैं।</p>	<p>ई एंड एस प्रक्रिया संहिता सहित चेकलिस्ट को प्रभावशीलता के छह महीने के भीतर तैयार किया जाता है और फिर हर छह महीने में तैयार किया जाता है।</p>	<p>पीएमयू (अर्जुन-एसपीवी) डीयूडी डीओटी</p>	<p>वर्ष 1: पर्यावरणीय एवं सामाजिक व्यवस्था स्क्रीनिंग चेकलिस्ट जिसमें प्रक्रिया संहिता, सड़कों के पुनर्वास के लिए विकसित और अपनाए गए निगरानी उपकरण, और परिणामोन्मुखी कार्यक्रम के अंतर्गत हरितीकरण और परिवहन हस्तक्षेप शामिल हैं।</p> <p>खरीद पैकेजों में चेकलिस्ट के प्रासंगिक भागों को शामिल करें।</p> <p>वर्ष 2 से आगे: हर छह महीने में चेकलिस्ट की समीक्षा की जाएगी।</p>
-----------	--	---	--	--

2.	परिणामोन्मुखी कार्यक्रम के तहत समर्थित परिवहन बुनियादी ढांचे का आवधिक महिला सुरक्षा ऑडिट करना	सुरक्षा ऑडिट उपकरण को प्रभावशीलता के छह महीने के भीतर विकसित किया जाता है और फिर हर छह महीने में तैयार किया जाता है	दूरसंचार विभाग के सहयोग से पीएमयू (अर्जुन-एसपीवी)	<p>वर्ष 2: महिला सुरक्षा ऑडिट टूल विकसित किया गया और प्रायोगिक रूप से चलाया गया</p> <p>वर्ष 2: डिपो, ईवी चार्जिंग स्टेशनों, तिपहिया वाहन स्टैंडों और स्वचालित परीक्षण स्टेशनों (एटीएस) में लागू किया गया</p> <p>वर्ष 3 से आगे: महिला सुरक्षा ऑडिट हर छह महीने में किया जाएगा और रिपोर्ट सालाना प्रकाशित की जाएगी, (यह सुनिश्चित किया जाए कि पिछली रिपोर्ट के निष्कर्षों पर अगले वर्ष ध्यान दिया जाता है)।</p>
----	---	---	---	---

3.	सी एंड डी अपशिष्ट प्रबंधन और सड़कों के पुनर्वास पर मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) में श्रमिकों और समुदायों (ओएचएस और सीएचएस) के व्यावसायिक और सामुदायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को एकीकृत करना।	प्रभावशीलता के एक वर्ष के भीतर आवश्यकताओं की सूची और फिर प्रभावशीलता के दूसरे वर्ष और उसके बाद एकीकृत	<p>वर्ष 1: चेकलिस्ट तैयार की गई सड़क पुनर्वास:</p> <p>वर्ष 2: मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) में ओएचएस और सीएचएस पहलुओं को एकीकृत किया गया और हर 6 महीने में एक बार कार्यान्वयन की समीक्षा की गई।</p> <p>केन्द्रीय और परिवहन अपशिष्ट प्रबंधन:</p> <p>वर्ष 2: मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) में ओएचएस और सीएचएस पहलुओं को एकीकृत किया गया और हर 6 महीने में एक बार कार्यान्वयन की समीक्षा की गई।</p>
----	---	---	--

### तालिका ई-2 परिणाम फ्रेमवर्क में एकीकृत संस्तुतियां

मध्यवर्ती संकेतक
<ul style="list-style-type: none"> <li>• हितधारकों और निजी क्षेत्र के साथ सहयोग हेतु साझेदारी (जागरूकता और व्यवहार परिवर्तन अभियानों, आयोजनों और परामर्शों पर) में वृद्धि</li> <li>• नागरिकों और हितधारकों के लिए सुलभ और प्रभावी शिकायत निवारण</li> <li>• स्थायी परिवहन अवसंरचना और सेवाओं तक बेहतर पहुंच से लाभान्वित व्यक्ति</li> <li>• शहरी बस परिवहन सेवाओं में तकनीकी और परिचालन कर्मचारियों के रूप में कार्यरत महिलाएं।</li> </ul>

कार्यक्रम कार्रवाई योजना (पीएपी) कार्यान्वयन और समग्र पर्यावरणीय एवं सामाजिक निष्पादन को और अधिक मजबूत करने के लिए डीएलआई और संबंधित सत्यापन प्रोटोकॉल में कई खंडों को जोड़ा गया है।

### **डीएलआई सत्यापन में एकीकृत प्रोटोकॉल:**

डीएलआई5: एसओपी और शहरी सड़क धूल प्रबंधन के लिए सत्यापन प्रोटोकॉल: डीएलआई में पुनर्चक्रित सीएंडडी उत्पादों और शहरी सड़क धूल प्रबंधन के लिए एसओपी तैयार करना शामिल है। सत्यापन प्रोटोकॉल में विकसित आधिकारिक एसओपी की समीक्षा की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उनमें ओएचएस और सीएचएस पहलू शामिल हैं, साथ ही उनके कार्यान्वयन का सत्यापन भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सत्यापन प्रक्रिया में पीएपी से उत्पन्न पर्यावरण और जांच सूची (ईएंडएस जांच सूची) की तैयारी की जांच भी शामिल होगी।

डीएलआई6: जोखिम अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सत्यापन प्रोटोकॉल: डीएलआई सत्यापन प्रोटोकॉल में जोखिम अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित अनुपालन जांच शामिल है। डीएलआई6 के स्वतंत्र सत्यापन में पंजीकृत पुनर्चक्रण सुविधाओं पर पुराने डीजी सेटों और बॉयलरों को उचित तरीके से हटाने और विघटित करने की पुष्टि पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

### **ई-10 कार्यान्वयन सहायता**

कार्यक्रम के कार्यान्वयन के दौरान विश्व बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता में निम्नलिखित शामिल होंगे:

I. आवधिक स्वतंत्र सत्यापन एजेंसी (आईएवी) रिपोर्टों, कार्यान्वयन सहायता मिशनों और कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू) द्वारा प्रस्तुत किसी भी अन्य पर्यावरणीय एवं सामाजिक व्यवस्था प्रगति रिपोर्ट के माध्यम से, पीएपी और संबंधित डीएलआई सहित पर्यावरणीय एवं सामाजिक व्यवस्था जोखिम प्रबंधन पर कार्यक्रम परिणामों की कार्यान्वयन प्रगति और उपलब्धि की समीक्षा करना।

II. पर्यावरण एवं सामाजिक व्यवस्था जोखिमों/प्रभावों की पहचान, प्रबंधन और निगरानी हेतु प्रणालियां और प्रक्रियाएं स्थापित करने में कार्यान्वयन एजेंसियों एसपीवी (अर्जुन)(आईए) में कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू) की सहायता करना।

III. पर्यावरणीय एवं सामाजिक व्यवस्था प्रबंधन पर संस्थागत क्षमता निर्माण में आवधिक आधार पर सहायता करना।

IV. कार्यक्रम कार्रवाई योजना (पीएपी) में शामिल सम्मत पर्यावरणीय एवं सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उपायों के कार्यान्वयन सहित कार्यक्रम प्रणालियों के कार्य निष्पादन की निगरानी करना।

V. पर्यावरणीय एवं सामाजिक व्यवस्था से संबंधित कार्यक्रम जोखिमों में परिवर्तनों की निगरानी करना और कानूनी अनुबंधों के प्रावधानों का अनुपालन करना।

VI. उधारकर्ता के सहयोग से, कार्यक्रम कार्यान्वयन में सुधार या अप्रत्याशित कार्यान्वयन चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यकतानुसार परिणामोन्मुखी कार्यक्रम सिद्धांतों के अनुरूप पर्यावरणीय एवं सामाजिक व्यवस्था जोखिम प्रबंधन पद्धतियों को अपनाना।

### ई-11 निवेश परियोजना वित्तपोषण (आईपीएफ) - तकनीकी सहायता घटक

तकनीकी सहायता के अलावा, निवेश परियोजना वित्तपोषण (आईपीएफ) घटक [2] से पर्यावरणीय एवं सामाजिक व्यवस्था पर प्रभाव पड़ने की उम्मीद है क्योंकि यह छोटे पैमाने के सिविल कार्यों को वित्तपोषित करेगा जिसमें मवेशी आश्रयों और अपशिष्ट संग्रहण एवं प्रबंधन सुविधाओं (नंदीशाला और गोशालाएं [3]) का निर्माण/उन्नयन शामिल है। सिविल कार्यों से धूल, शोर और निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट उत्पन्न हो सकते हैं और ओएचएस जोखिम पैदा हो सकते हैं। परिचालन स्तर पर, नियमित रखरखाव के अभाव में ये सुविधाएं दुर्गंध, संदूषण और कीट प्रजनन का कारण बन सकती हैं। पर्यावरणीय एवं सामाजिक व्यवस्था जोखिम को मध्यम श्रेणी में रखा गया है। आईपीएफ की अपेक्षा के अनुसार, पर्यावरण और सामाजिक प्रतिबद्धता योजना (ईएससीपी), हितधारक सहभागिता योजना (एसईपी), और श्रम प्रबंधन प्रक्रिया (एलएमपी) तैयार की जाती है, जिसके बारे में कार्यक्रम मूल्यांकन से पहले बताया जाएगा।

---

[1] डीओईएफसीसी; एचएसपीसीबी; डीओयूडी; डीओयूएलबी; डीओटी; डीओए; डीओआई; जीएमसीबीएसएल; एफटीसीबीएल; एचएसबीसीएल; एमसीजी; एमसीएफ

[2] एसपीवी (अर्जुन); डीओए और डीओआरडी द्वारा कार्यान्वित

[3] नंदीशाला सांडों के लिए, विशेष रूप से प्रजनन के लिए उपयोग किए जाने वाले या परित्यक्त या घायल सांडों के लिए एक विशेष आश्रय स्थल है। गौशाला एक व्यापक शब्द है, जिसका अर्थ गायों, बछड़ों और सांडों के लिए आश्रय स्थल है। दोनों के बीच सह-संबंध के संदर्भ में, नंदीशाला एक विशेष प्रकार की गौशाला है, जो नर मवेशियों की देखभाल और कल्याण संबंधी कार्य करती है।